**Seventeenth Loksabha**

an>

Regarding compensation to farmers who suffered damage to their crops due to pest attack in Chhattisgarh

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): महोदय, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और इसकी 80 प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र में कार्य कर अपना जीवन यापन करती है। भारत में विशेषकर तीन मौसमों पर आधारित फसल को मौसम के अनुरूप छत्तीसगढ़ मे भी किया जाता है, लेकिन कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भयंकर उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कीट पतंगों के प्रकोप से किसान की फसल का नष्ट हो जाना। ऐसे समयों में स्थानीय सरकार राहत देने के लिए (क्षतिपूर्ति के रूप मे) मुआवजा राशि प्रदान करती है, लेकिन मुआवजे की राशि बहुत ही कम (नगण्य) होने के कारण गरीब किसान की समस्याओं का कोई समाधान नही निकल पाता है और वे कर्ज से बोझ के कारण असहाय हो जाते हैं तथा उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जैसे कि विषम परिस्थितियों से उबारने के लिए किसानों को अल्पवर्षा/अतिवृष्टि होने की दशा में, अकाल जैसी परिस्थितियों मे राज्य शासन के द्वारा आरबीसी 6/4 के तहत राशि प्रदान की जाती है, ठीक उसी प्रकार कीट पतंगों के प्रकोप से होने वाले कृषि नुकसान की भरपाई के लिए अगर आरबीसी 6/4 के तहत राशि प्रदान करायी जाए तो निश्चित ही किसानों को राहत मिलेगी और यह व्यवस्था पलायन को रोकने मे सहायक सिद्ध होगी। इसके साथ ही किसान पुन: कृषि कार्य करने मे सक्षम हो सकेंगे।

अतः आपके माध्यम से मेरा संबंधित विभागीय मंत्रालय से निवेदन है कि फसल मुआवजा नियम मे संशोधन करते हुए कीट प्रकोप से नुकसान होने पर फसल की मुआवजा राशि आर.बी.सी.6/4 के तहत प्रदान करने की महान कृपा करें।